


कार्यालय आदेश

दिनांक 03.03.2021 के कार्यालय आदेश सं. आईएचएम/2020-21/आरटीआई /2189 के अधिक्रमण में बोर्ड संकल्प सं. 76.10 एवं आरटीआई अधिनियम के तहत लोक प्राधिकरणों के रूप में निम्नलिखित अधिकारियों की नियुक्ति निम्नानुसार है :

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी(एफएए)/नोडल अधिकारी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी	- प्रधानाचार्य - विभागाध्यक्ष-II (विभागाध्यक्ष-II के अनुपस्थिति में, विभागाध्यक्ष-I कार्य करेगा)
लिंक लोक सूचना अधिकारी(एलपीआईओ)	- विभागाध्यक्ष-I (विभागाध्यक्ष-I के अनुपस्थिति में, विभागाध्यक्ष-III कार्य करेगा)
एसीपीआईओ/सार्वजनिक सूचना अधिकारी माना याएगा(डीपीआईओ)	- प्रशासनिक-एवं-लेखा अधिकारी (प्रशासनिक-एवं-लेखा अधिकारी की अनुपस्थिति में, लेखाकार कार्य करेगी) (लेखाकार की अनुपस्थिति में, प्रधानाचार्य की निजी सहायक कार्य करेगी)
लिंक एसीपीआईओ/ सार्वजनिक सूचना अधिकारी माना याएगा(एलडीपीआईओ)	- कार्यालय अधीक्षक (कार्यालय अधीक्षक की अनुपस्थिति में, प्रवर श्रेणी लिपिक (स्थापना अनुभाग) कार्य करेगी) (प्रवर श्रेणी लिपिक(स्थापना) के अनुपस्थिति में, प्रवर श्रेणी लिपिक(परीक्षा) कार्य करेगी)

उपर्युक्त अधिकारियों के कर्तव्य और जिम्मेदारियां आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुसार होंगी।


(डॉ. एस. एस. एस.)

प्रधानाचार्य/सचिव

होटल प्रबंध, खान-पान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त
पोषण विज्ञान संस्थान-गोवा के लिए और की ओर से

सेवा में :

1. प्रधानाचार्य
2. विभागाध्यक्ष-I
3. विभागाध्यक्ष-II
4. विभागाध्यक्ष-III
5. प्रशासनिक-एवं-लेखा अधिकारी
6. कार्यालय अधीक्षक
7. लेखाकार
8. प्रधानाचार्य की निजी सहायक
9. प्रवर श्रेणी लिपिक(परीक्षा)
10. प्रवर श्रेणी लिपिक(स्थापना)

प्रतिलिपि :


1. प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी
2. कार्यालय अधीक्षक
3. कमिटी फ़ाइल
4. गार्ड फ़ाइल

OFFICE ORDER

In supersession of Office Order No. IHM/2020-21/RTI/2189 and Board Resolution No. 76.10 the following officers are appointed as Public Authorities under the RTI Act as follows:

- First Appellate Authority(FAA)/Nodal Officer - Principal
Central Public Information Officer - HOD-II
(In absence of HOD-II, HOD-I will officiate)
Link Public Information Officer(LPIO) - HOD-I (In absence of HOD-I, HOD-III will officiate)
ACPIO/Deemed Public Information Officer(DPIO) - Administrative-cum-Accounts Officer (In absence of A.A.O, Accountant will officiate)
(In absence of Accountant, P.A. to Principal will officiate)
Link ACPIO/Deemed Public Information Officer (LDPIO) - Office Superintendent
(In absence of O.S, Upper Division Clerk(Establishment) will officiate)
(In absence of UDC(Estb.), UDC(Exam) will officiate)

The duties and responsibilities of the aforesaid officers shall be as per the RTI Act, 2005.


(DONNA D'SOUZA)
PRINCIPAL/SECRETARY

For and on behalf of Institute of Hotel Management,
Catering Technology & Applied Nutrition-Goa

To :

1. Principal
2. HOD-I
3. HOD-II
4. HOD-III
5. Administrative-cum-Accounts Officer
6. Office Superintendent
7. Accountant
8. P.A. to Principal
9. UDC(Exam)
10. Upper Division Clerk(Establishment)

cc :

1. A.A.O
2. O.S
3. Committees File
4. Guard File